

# राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता

## Model Code of Conduct for The Guidance of Political Parties and Candidates

# 2024



भारत निर्वाचन आयोग  
**Election Commission of India**

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

*"No voter to be left behind"*



# MODEL CODE OF CONDUCT FOR THE GUIDANCE OF POLITICAL PARTIES AND CANDIDATES

## I. General Conduct

- (1) No party or candidate shall indulge in any activity which may aggravate existing differences or create mutual hatred or cause tension between different castes and communities, religious or linguistic.
- (2) Criticism of other political parties, when made, shall be confined to their policies and programme, past record and work. Parties and Candidates shall refrain from criticism of all aspects of private life, not connected with the public activities of the leaders or workers of other parties. Criticism of other parties or their workers based on unverified allegations or distortion shall be avoided.
- (3) There shall be no appeal to caste or communal feelings for securing votes. Mosques, Churches, Temples or other places of worship shall not be used as forum for election propaganda.
- (4) All parties and candidates shall avoid scrupulously all activities which are “corrupt practices” and offences under the election law, such as bribing of voters, intimidation of voters, impersonation of voters, canvassing within 100 meters of polling stations, holding public meetings during the period of 48 hours ending with the hour fixed for the close of the poll, and the transport and conveyance of voters to and from polling station.
- (5) The right of every individual for peaceful and undisturbed home-life shall be respected, however much the political parties or candidates may resent his political opinions or activities. Organising demonstrations or picketing before the houses of individuals by way of protesting against their opinions or activities shall not be resorted to under any circumstances.
- (6) No political party or candidate shall permit its or his followers to make use of any individual’s land, building, compound wall etc., without his permission for erecting flag-staffs, suspending banners, pasting notices, writing slogans etc.
- (7) Political parties and candidates shall ensure that their supporters do not create obstructions in or break up meetings and processions

organised by other parties. Workers or sympathisers of one political party shall not create disturbances at public meetings organised by another political party by putting questions orally or in writing or by distributing leaflets of their own party. Processions shall not be taken out by one party along places at which meetings are held by another party. Posters issued by one party shall not be removed by workers of another party.

## **II. Meetings.**

- (1) The party or candidate shall inform the local police authorities of the venue and time of any proposed meeting well in time so as to enable the police to make necessary arrangements for controlling traffic and maintaining peace and order.
- (2) A Party or candidate shall ascertain in advance if there is any restrictive or prohibitory order in force in the place proposed for the meeting; if such orders exist, they shall be followed strictly. If any exemption is required from such orders, it shall be applied for and obtained well in time.
- (3) If permission or license is to be obtained for the use of loudspeakers or any other facility in connection with any proposed meeting, the party or candidate shall apply to the authority concerned well in advance and obtain such permission or license.
- (4) Organisers of a meeting shall invariably seek the assistance of the police on duty for dealing with persons disturbing a meeting or otherwise attempting to create disorder. Organisers themselves shall not take action against such persons.

## **III. Procession**

- (1) A Party or candidate organizing a procession shall decide before hand the time and place of the starting of the procession, the route to be followed and the time and place at which the procession will terminate. There shall ordinarily be no deviation from the programme.
- (2) The organisers shall give advance intimation to the local police authorities of the programme so as to enable the latter to make necessary arrangement.
- (3) The organisers shall ascertain if any restrictive orders are in force in the localities through which the procession has to pass, and

shall comply with the restrictions unless exempted specially by the competent authority. Any traffic regulations or restrictions shall also be carefully adhered to.

- (4) The organisers shall take steps in advance to arrange for passage of the procession so that there is no block or hindrance to traffic. If the procession is very long, it shall be organised in segments of suitable lengths, so that at convenient intervals, especially at points where the procession has to pass road junctions, the passage of held up traffic could be allowed by stages thus avoiding heavy traffic congestion.
- (5) Processions shall be so regulated as to keep as much to the right of the road as possible and the direction and advice of the police on duty shall be strictly complied with.
- (6) If two or more political parties or candidates propose to take processions over the same route or parts thereof at about the same time, the organisers shall establish contact well in advance and decide upon the measures to be taken to see that the processions do not clash or cause hindrance to traffic. The assistance of the local police shall be availed of for arriving at a satisfactory arrangement. For this purpose, the parties shall contact the police at the earliest opportunity.
- (7) The political parties or candidates shall exercise control to the maximum extent possible in the matter of processionists carrying articles which may be put to misuse by undesirable elements, especially in moments of excitement.
- (8) The carrying of effigies purporting to represent member of other political parties or their leaders, burning such effigies in public and such other forms of demonstration shall not be countenanced by any political party or candidate.

#### **IV. Polling Day**

All Political parties and candidates shall –

- (i) co-operate with the officers on election duty to ensure peaceful and orderly polling and complete freedom to the voters to exercise their franchise without being subjected to any annoyance or obstruction.

- (ii) supply to their authorized workers suitable badges or identity cards.
- (iii) agree that the identity slip supplied by them to voters shall be on plain (white) paper and shall not contain any symbol, name of the candidate or the name of the party;
- (iv) refrain from serving or distributing liquor on polling day and during the forty eight hours preceding it.
- (v) not allow unnecessary crowd to be collected near the camps set up by the political parties and candidates near the polling booths so as to avoid confrontation and tension among workers and sympathizers of the parties and the candidate.
- (vi) ensure that the candidate's camps shall be simple. They shall not display any posters, flags, symbols or any other propaganda material. No eatable shall be served or crowd allowed at the camps and
- (vii) co-operate with the authorities in complying with the restrictions to be imposed on the plying of vehicles on the polling day and obtain permits for them which should be displayed prominently on those vehicles.

## **V. Polling Booth**

Excepting the voters, no one without a valid pass from the Election Commission shall enter the polling booths.

## **VI. Observers**

The Election Commission is appointing Observers. If the candidates or their agents have any specific complaint or problem regarding the conduct of elections they may bring the same to the notice of the Observer.

## **VII. Party in Power**

The party in power whether at the Centre or in the State or States concerned, shall ensure that no cause is given for any complaint that it has used its official position for the purposes of its election campaign and in particular –

- (i) (a) The Ministers shall not combine their official visit with electioneering work and shall not also make use of official

machinery or personnel during the electioneering work.

- (b) Government transport including official air-crafts, vehicles, machinery and personnel shall not be used for furtherance of the interest of the party in power;
- (ii) Public places such as maidans etc., for holding election meetings, and use of helipads for air-flights in connection with elections shall not be monopolized by itself. Other parties and candidates shall be allowed the use of such places and facilities on the same terms and conditions on which they are used by the party in power;
- (iii) Rest houses, dak bungalows or other Government accommodation shall not be monopolized by the party in power or its candidates and such accommodation shall be allowed to be used by other parties and candidates in a fair manner but no party or candidate shall use or be allowed to use such accommodation (including premises appertaining thereto) as a campaign office or for holding any public meeting for the purposes of election propaganda;
- (iv) Issue of advertisement at the cost of public exchequer in the newspapers and other media and the misuse of official mass media during the election period for partisan coverage of political news and publicity regarding achievements with a view to furthering the prospects of the party in power shall be scrupulously avoided.
- (v) Ministers and other authorities shall not sanction grants/payments out of discretionary funds from the time elections are announced by the Commission; and
- (vi) From the time elections are announced by Commission, Ministers and other authorities shall not –
  - (a) announce any financial grants in any form or promises thereof; or
  - (b) (except civil servants) lay foundation stones etc. of projects or schemes of any kind; or
  - (c) make any promise of construction of roads, provision of drinking water facilities etc.; or
  - (d) make any ad-hoc appointments in Government, Public Undertakings etc. which may have the effect of influencing the voters in favor of the party in power.

**Note :** The Commission shall announce the date of any election which shall be a date ordinarily not more than three weeks prior to the date on which the notification is likely to be issued in respect of such elections.

(vii) Ministers of Central or State Government shall not enter any polling station or place of counting except in their capacity as a candidate or voter or authorized agent.

## VIII. Guidelines on Election Manifesto

1. The Supreme Court in its judgment dated 5th July 2013 in SLP(C) No. 21455 of 2008 (S. Subramanian Balaji Vs Govt. of Tamil Nadu and others) has directed the Election Commission to frame guidelines with regard to the contents of election manifesto in consultation with all the recognized political parties. The guiding principles which will lead to framing of such guidelines are quoted below from judgment:-

“Although, the law is obvious that the promises in the election manifesto cannot be construed as ‘corrupt practice’ under Section 123 of RP Act, the reality cannot be ruled out that distribution of freebies on any kind, undoubtedly, influences all people. It shakes the root of free and fair elections to a large degree”.

“The Election Commission, in order to ensure level playing field between the contesting parties and candidates in elections and also in order to see that the purity of the election process does not get vitiated, has in past been issuing instructions under the Model Code of Conduct. The fountainhead of the powers under which the Commission issues these orders is Article 324 of the Constitution which mandates the Commission to hold free and fair elections.”


“We are mindful of the fact that generally political parties release their election manifesto before the announcement of election date, in that scenario, strictly speaking, the Election Commission will not have the authority to regulate any act which is done before the announcement of the date. Nevertheless, an exception can be made in this regard as the purpose of election manifesto is directly associated with the election process”.

2. Upon receiving the above direction of the Hon’ble Supreme Court, the Election Commission held a meeting with the recognized



National and State Political Parties for consultation with them in the matter and took note of their conflicting views in the matter. During consultations, while some political parties supported the issuance of such guidelines, others were of the view that it is their right and duty towards voters to make such offers and promises in manifesto in a healthy democratic polity. While the Commission agrees in principle with the point of view that framing of manifestos is the right of the political parties, it cannot overlook the undesirable impact of some of the promises and offers on the conduct of free and fair elections and maintaining level playing field for all political parties and candidates.

3. The Constitution under Article 324 mandates the Election Commission, to conduct elections inter alia to the Parliament and the State Legislatures. Having due regard to the above direction of the Supreme Court and after consultation with the Political Parties, the Commission, in the interest of free and fair elections, hereby directs that Political Parties and Candidates while releasing election manifesto for any election to the Parliament or State Legislatures, shall adhere to the following guidelines :-
  - (i) The election manifesto shall not contain anything repugnant to the ideals and principles enshrined in the Constitution and further that it shall be consistent with the letter and spirit of other provisions of Model Code of Conduct.
  - (ii) The Directive Principles of State Policy enshrined in the Constitution enjoin upon the State to frame various welfare measures for the citizens and therefore there can be no objection to the promise of such welfare in election manifesto. However, political parties should avoid making those promises which are likely to vitiate the purity of the election process or exert undue influence on the voters in exercising their franchise.
  - (iii) In the interest of transparency, level playing field and credibility of promises, it is expected that manifesto also reflect the rationale for the promises and broadly indicate the ways and means to meet the financial requirement for it. Trust of voters should be sought only on those promises which are possible to be fulfilled.

- 
4. Prohibitory period of Release of Manifesto during elections(s)
    - (i) In case of single phase election, manifesto shall not be released during the prohibitory period, as prescribed under Section 126 of the Representation of the People Act, 1951.
    - (ii) In case of multi-phase elections, manifesto shall not be released during the prohibitory periods, as prescribed under Section 126 of the Representation of the People Act, 1951, of all the phases of those elections.”



## राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता

### I- सामान्य आचरण

1. कोई दल या अभ्यर्थी ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जिससे भिन्न जातियों और धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच विद्यमान मतभेद अधिक गंभीर हो सकते हैं या परस्पर नफ़रत हो सकती है या तनाव पैदा हो सकता है।
2. यदि राजनीतिक दलों की आलोचना की जाए, तो यह उनकी नीतियों और कार्यक्रमों, गत रिकॉर्ड और कार्य तक ही सीमित रखी जाएगी। दलों और अभ्यर्थियों को अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं की सार्वजनिक गतिविधियों से असंबद्ध निजी जीवन के सभी पहलुओं की आलोचना करने से बचना होगा। असत्यापित आरोपों या मिथ्या कथन के आधार पर अन्य दलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना करने से बचना होगा।
3. मत प्राप्त करने के लिए जाति या संप्रदाय की भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जाएगी। मस्जिदों, चर्चों, मंदिरों और पूजा के अन्य स्थलों को निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाएगा।
4. सभी दल और अभ्यर्थी ऐसी सभी गतिविधियों से ईमानदारी से परहेज करेंगे जो निर्वाचन विधि के अधीन " भ्रष्ट आचरण " एवं अपराध हैं जैसे कि मतदाताओं को घूस देना, मतदाताओं को डराना-धमकाना, मतदाताओं का प्रतिरूपण, मतदान केंद्रों से 100 मीटर की दूरी के अंतर्गत प्रचार करना, मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय के समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाएं आयोजित करना और मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक ले जाने और वापस लाने के लिए परिवहन और वाहन उपलब्ध कराना।
5. हर व्यक्ति के शांतिपूर्ण और बाधा रहित घरेलू जीवन के अधिकार का सम्मान किया जाएगा, फिर चाहे राजनीतिक दल और अभ्यर्थी उनकी राजनीतिक राय या गतिविधियों से कितने भी अप्रसन्न हों। किसी भी परिस्थिति में उनकी राय अथवा गतिविधियों के खिलाफ विरोध जताने के लिए व्यक्तियों के घर के सामने प्रदर्शन आयोजित करने या धरना देने का सहारा नहीं लिया जाएगा।
6. कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी अपने अनुयायियों को किसी भी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी भूमि, भवन, परिसर की दीवारों इत्यादि पर झंडा लगाने, बैनर लटकाने, सूचना चिपकाने, नारा लिखने इत्यादि की अनुमति नहीं देगा।
7. राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके समर्थक अन्य दलों द्वारा आयोजित सभाओं और जुलूसों में बाधा खड़ी नहीं करेंगे या उन्हें भंग नहीं करेंगे। किसी राजनैतिक दल के कार्यकर्ता या समर्थक

अन्य राजनीतिक दल द्वारा आयोजित सार्वजनिक सभा में मौखिक या लिखित रूप में सवाल पूछकर या अपने दल के पर्व बाँटकर बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। किसी दल द्वारा उन स्थानों के आसपास जुलूस न निकाला जाए जहाँ अन्य दल की सभाएं आयोजित हो रही हैं। किसी दल के कार्यकर्ता अन्य दल के कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए पोस्टर नहीं हटाएंगे।

## II- सभाएं

1. दल या अभ्यर्थी स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को किसी भी प्रस्तावित सभा के स्थल और समय के बारे में काफी पहले से सूचित करेंगे ताकि पुलिस यातायात को नियंत्रित करने और शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर सके।
2. दल या अभ्यर्थी अग्रिम रूप से सुनिश्चित करेगा कि क्या सभा के लिए प्रस्तावित स्थल पर कोई रोक या निषेधाज्ञा लागू तो नहीं है और यदि ऐसे आदेश मौजूद हैं, तो उनका कड़ाई से पालन किया जाएगा। यदि ऐसे आदेशों से किसी रियायत की आवश्यकता हो, तो अग्रिम रूप से इसके लिए आवेदन किया जाएगा और प्राप्त किया जाएगा।
3. यदि किसी प्रस्तावित सभा के संबंध में लाउडस्पीकरों या किसी अन्य सुविधा के उपयोग के लिए अनुमति या अनुज्ञा प्राप्त करने की आवश्यकता है, तो दल या अभ्यर्थी अग्रिम रूप से संबंधित प्राधिकरण के समक्ष आवेदन करेगा और यह अनुमति या अनुज्ञा प्राप्त करेगा।
4. सभा के आयोजक सभा में बाधा खड़ी करने वाले या अन्यथा अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों से निपटने के लिए ड्यूटी पर तैनात पुलिस की निरपवाद रूप से सहायता प्राप्त करेगा। स्वयं आयोजक ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करेंगे।

## III- जुलूस

1. जुलूस का आयोजन करने वाला दल या अभ्यर्थी जुलूस शुरू करने का स्थान और समय, अनुगमन किए जाने वाले मार्गों और जुलूस समाप्त होने का स्थान और समय पहले से ही तय करेगा। साधारण तौर पर कार्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. आयोजक स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को कार्यक्रम की अग्रिम सूचना देंगे ताकि स्थानीय पुलिस प्राधिकारी आवश्यक व्यवस्था कर सकें।
3. आयोजक यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन इलाकों से जुलूस निकालना है, क्या उन इलाकों में कोई प्रतिबन्ध आदेश लागू है और प्रतिबन्ध आदेशों का पालन करेंगे यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से रियायत नहीं दी गई है।

यातायात संबंधी किन्हीं विनियमों या प्रतिबंधों का भी ध्यानपूर्वक अनुपालन किया जाएगा।

4. आयोजक जुलूस निकालने के लिए अग्रिम रूप से व्यवस्था करने हेतु कदम उठाएंगे ताकि यातायात में कोई रुकावट या बाधा न आए। यदि जुलूस बहुत लंबा है, तो इसे उचित लंबाई के कई हिस्सों में आयोजित किया जाएगा, ताकि सुविधाजनक अंतरालों पर, विशेष रूप से उन स्थानों पर जहाँ जुलूस को सड़क का चौराहा पार करना है, रुके हुए यातायात को कई चरणों में छोड़ा जा सके जिससे कि यातायात में भारी जाम से बचा जा सके।
5. जुलूस को इस प्रकार से विनियमित किया जाएगा कि जहाँ तक संभव हो यह सड़क के दाहिने तरफ रहे और ड्यूटी पर तैनात पुलिस के निर्देशों और सलाहों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।
6. यदि दो या अधिक राजनीतिक दल या अभ्यर्थी जुलूस को समान रास्तों या उसके किसी भाग से एक ही समय पर ले जाने का प्रस्ताव देते हैं, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि दोनों जुलूस आपस में न टकराएं या यातायात में बाधा उत्पन्न न करें, आयोजक अग्रिम रूप से संपर्क करेंगे और अपनाए जाने वाले उपायों के बारे में निर्णय लेंगे। संतोषजनक व्यवस्था पर पहुँचने के लिए स्थानीय पुलिस की सहायता ली जाएगी। इस प्रयोजनार्थ दल पुलिस से यथाशीघ्र संपर्क करेंगे।
7. राजनीतिक दल या अभ्यर्थी, जुलूस में भाग लेने वाले लोगों के पास मौजूद ऐसी वस्तुओं जिनका अवांछनीय लोगों द्वारा विशेष रूप से उत्तेजना के पलों में दुरुपयोग किया जा सकता है, पर अधिकतम संभव सीमा तक नियंत्रण रखेंगे।
8. किसी भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी द्वारा अन्य राजनीतिक दलों के सदस्यों या उनके नेताओं को निरूपित करने वाले पुतले ले जाने, जनता के बीच इन पुतलों को जलाने और इस तरह के अन्य प्रकार के प्रदर्शन का समर्थन नहीं किया जाएगा।

#### IV- मतदान दिवस

सभी राजनीतिक दल और अभ्यर्थी:-

1. शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित मतदान और मतदाताओं को किसी भी तरह से परेशान किए बिना या कोई अड़चन पैदा किए बिना उन्हें अपने मताधिकार का उपयोग करने की पूरी स्वतंत्रता का सुनिश्चय करने के लिए निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के साथ सहयोग करेंगे।
2. अपने प्राधिकृत कार्यकर्ताओं को उचित बैज और पहचान पत्र प्रदान करेंगे।
3. इस बात पर सहमति देंगे कि उनके द्वारा मतदाताओं को प्रदान की गई पहचान

- पर्ची सादे (सफेद) कागज पर होगी और उस पर कोई प्रतीक, अभ्यर्थी का नाम या दल का नाम नहीं होगा।
4. मतदान के दिन और इससे अड़तालीस घंटे पहले शराब देने या बांटने से दूर रहेंगे।
  5. राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा मतदान बूथों के पास लगाए गई शिविरों के निकट अनावश्यक भीड़ इकट्ठा नहीं होने देंगे ताकि दलों के कार्यकर्ताओं और समर्थकों और अभ्यर्थियों के मध्य टकराव और तनाव से बचा जा सके।
  6. सुनिश्चित करेंगे कि अभ्यर्थी के शिविर साधारण होंगे। वे कोई पोस्टर, झंडा, प्रतीक, या कोई अन्य प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं करेंगे। कोई खाद्य सामग्री परोसी नहीं जाएगी अथवा भीड़ को शिविर में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और
  7. मतदान के दिन वाहनों के यातायात पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों के अनुपालन में प्राधिकारियों का सहयोग करेंगे और उनके लिए अनुज्ञापत्र प्राप्त करेंगे जो उन वाहनों पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होने चाहिए।

## V- मतदान बूथ

मतदाताओं के छोड़कर, ऐसा कोई व्यक्ति मतदान बूथ के भीतर प्रवेश नहीं करेगा जिसके पास निर्वाचन आयोग का कोई मान्य पास नहीं है।

## VI- प्रेक्षक

निर्वाचन आयोग प्रेक्षकों को नियुक्त करता है। यदि अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं को निर्वाचनों के संचालन के संबंध में कोई विशेष शिकायत या समस्या है, तो उसे प्रेक्षक के ध्यान में ला सकते हैं।

## VII- सत्ताधारी दल

केंद्र या राज्य या संबंधित राज्यों का सत्ताधारी दल यह सुनिश्चित करेगा कि इस वजह से शिकायत का अवसर न दिया जाए कि उन्होंने अपने निर्वाचन अभियान के प्रयोजनार्थ अपनी आधिकारिक स्थिति का उपयोग किया है और विशेष रूप से रूढ़

1. (क) मंत्री से अपने सरकारी दौरों को निर्वाचन संबंधी कार्यों के साथ नहीं जोड़ेंगे और साथ ही निर्वाचन संबंधी कार्यों के दौरान सरकारी मशीनरी या कर्मचारियों का उपयोग नहीं करेंगे।
- (ख) सत्ताधारी दल के हित को बढ़ावा देने के लिए सरकारी विमानों, वाहनों सहित सरकारी परिवहन, मशीनरी और कर्मचारियों का उपयोग नहीं करेंगे;

2. निर्वाचन के संबंध में निर्वाचन सभाएं आयोजित करने के लिए मैदानों इत्यादि जैसे सार्वजनिक स्थानों और हवाई उड़ानों के लिए हेलीपैड्स के उपयोग पर किसी का एकाधिकार नहीं होगा। अन्य दलों और अभ्यर्थियों को उन्हीं नियमों और शर्तों पर ऐसे स्थानों और सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी जिन नियमों और शर्तों पर सत्ताधारी दल इनका उपयोग करता है;
3. विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों पर सत्ताधारी दल या उसके अभ्यर्थी का एकाधिकार नहीं होगा और अन्य दलों और अभ्यर्थियों को निपक्ष ढंग से इन आवासों का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी किन्तु कोई भी दल या अभ्यर्थी इन आवासों (उसके अंतर्गत मौजूद परिसरों सहित) का उपयोग अभियान कार्यालय के रूप में या निर्वाचन प्रचार के प्रयोजनार्थ कोई सार्वजनिक सभा आयोजित करने के लिए नहीं करेगा या ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी;
4. सार्वजनिक राजकोष की लागत पर समाचार पत्रों और अन्य मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित करने और निर्वाचन अवधि के दौरान पक्षपातपूर्ण कवरेज के लिए राजनीतिक समाचारों की सरकारी मास मीडिया का दुरुपयोग और सत्ताधारी दल की संभावनाओं को बढ़ाने की दृष्टि से उनकी उपलब्धियों के संबंध में प्रचार करने से सावधानीपूर्वक बचेंगे;
5. मंत्री और अन्य प्राधिकारी आयोग द्वारा निर्वाचनों की घोषणा के समय से विवेकाधीन निधियों से अनुदानों/भुगतानों की संस्वीकृति प्रदान नहीं करेंगे; और
6. आयोग द्वारा निर्वाचनों की घोषणा के समय से, मंत्री और अन्य प्राधिकारी –
  - (क) किसी भी रूप में कोई वित्तीय अनुदान या इससे संबंधित प्रतिज्ञाओं की घोषणा नहीं करेंगे; या
  - (ख) किसी भी प्रकार की परियोजनाओं या योजनाओं का शिलान्यास इत्यादि नहीं रखेंगे (सरकारी कर्मचारियों के अलावा); या
  - (ग) सड़कों के निर्माण, पेय जल की सुविधाओं के प्रावधान इत्यादि का कोई वचन नहीं देंगे; या
  - (घ) सरकारी, सार्वजनिक उपक्रमों इत्यादि में कोई तदर्थ नियुक्ति नहीं करेंगे जिससे मतदाताओं पर सत्ताधारी दल के पक्ष में प्रभाव पड़ता हो।

**नोट :** आयोग किसी निर्वाचन की तारीख घोषित करेगा, जो उस तारीख से आम तौर पर अधिकतम तीन सप्ताह पहले की तारीख होगी जिस दिन इस निर्वाचन के संबंध में अधिसूचना जारी होने की संभावना है।

7. केन्द्र या राज्य सरकार के मंत्री बतौर अभ्यर्थी या मतदाता या प्राधिकृत अभिकर्ता की हैसियत के अतिरिक्त किसी मतदान केन्द्र या मतगणना के स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे।



## VIII- निर्वाचन घोषणा पत्र संबंधी दिशानिर्देश

1. 2008 की एसएलपी (सी) संख्या 21455 (एस सुब्रमणियम बालाजी बनाम तमिलनाडु सरकार एवं अन्य) में उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 5 जुलाई 2013 के अपने निर्णय में निर्वाचन आयोग को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के परामर्श से निर्वाचन के घोषणा पत्र की अंतर्वस्तु के संबंध में दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दिया है। निर्णय में से उन निर्देशक सिद्धांतों को नीचे उद्धृत किया गया है जो दिशानिर्देशों को तैयार करने का मार्ग प्रशस्त करेंगे
  - (i) हालांकि विधि स्पष्ट है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के अधीन निर्वाचन के घोषणा पत्र के प्रतिज्ञाओं को "भ्रष्ट आचरण" नहीं समझा जा सकता है, इस वास्तविकता की उपेक्षा नहीं की जा सकती है कि किसी भी प्रकार के मुफ्त उपहारों का वितरण निस्संदेह सभी लोगों को प्रभावित करता है। यह स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचनों की जड़ों को काफी हद तक हिला कर रख देता है।
  - (ii) निर्वाचनों में निर्वाचन लड़ने वाले दलों और अभ्यर्थियों को समान अवसर प्रदान करने का सुनिश्चय करने के लिए और यह भी देखने के लिए कि निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल दल भ्रष्ट न हो जाए, निर्वाचन आयोग पहले भी आदर्श आचार संहिता के अधीन अनुदेश जारी करता रहा है। शक्तियों का वह स्रोत जिसके अधीन आयोग ये आदेश जारी करता है, वह संविधान का अनुच्छेद 324 है जो आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपता है।
  - (iii) हम इस तथ्य के प्रति सचेत रहते हैं कि आम तौर पर राजनीतिक दल निर्वाचन की तारीख की घोषणा से पहले अपना निर्वाचन घोषणा पत्र जारी कर देते हैं, उस परिदृश्य में, सच तो यह है कि निर्वाचन आयोग को तारीख की घोषणा से पहले किए गए किसी कार्य को विनियमित करने का प्राधिकार नहीं होगा। तथापि, इस बारे में एक अपवाद निर्मित किया जा सकता है क्योंकि निर्वाचन के घोषणा पत्र का प्रयोजन प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ा है।
2. माननीय उच्चतम न्यायालय का उपर्युक्त निर्देश मिलने पर, निर्वाचन आयोग ने इस मामले में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्यीय राजनीतिक दलों से परामर्श के लिए उनके साथ एक बैठक आयोजित की और इस मामले में उनके परस्पर विरोधी दृष्टिकोणों को नोट किया गया। परामर्श के दौरान, कुछ राजनीतिक दलों ने ऐसी दिशानिर्देशों के जारी होने का समर्थन किया, जबकि अन्य दलों की राय यह थी कि स्वस्थ लोकतांत्रिक शासन पद्धति में घोषणा पत्र में ऐसे प्रस्ताव और वचन देना मतदाताओं के प्रति उनका अधिकार और कर्तव्य है। यद्यपि आयोग इस दृष्टिकोण से सिद्धांततरु सहमत है कि घोषणा पत्र तैयार

करना राजनीतिक दलों का अधिकार है, फिर भी आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचनों के संचालन और सभी राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों को समान अवसर प्रदान करने पर कुछ प्रस्तावों और वचनों के अवांछनीय प्रभावों की उपेक्षा नहीं कर सकता है।

3. संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को अन्य के साथ-साथ संसद और राज्य विधान मंडलों का निर्वाचन संचालित करने का अधिदेश देता है। उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निर्देश को समुचित रूप से ध्यान में रखते हुए और राजनीतिक दलों के साथ परामर्श करने के बाद, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचनों के हित में आयोग एतद्वारा निर्देश देता है कि राजनीतिक दल और अभ्यर्थी संसद या राज्य विधान मंडलों के किसी भी निर्वाचन के लिए निर्वाचन घोषणा पत्र जारी करते समय निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन करेंगे –

- (i) निर्वाचन घोषणा पत्र में संविधान में प्रतिष्ठापित आदर्शों और सिद्धांतों के विरुद्ध कुछ भी शामिल नहीं होगा और इसके अतिरिक्त यह आदर्श आचार संहिता के अन्य उपबंधों के साथ सुसंगत होगा।
- (ii) संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत राज्य को नागरिकों के कल्याण के लिए विभिन्न उपाय तैयार करने का आदेश देते हैं और इसलिए निर्वाचन घोषणा पत्र में ऐसे कल्याण के वचनों के प्रति कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। तथापि, राजनीतिक दलों को ऐसे वादे करने से परहेज करना चाहिए जिससे निर्वाचन प्रक्रिया की पवित्रता दूषित हो सकती है या अपने मताधिकार का उपयोग करने में मतदाताओं पर अनुचित प्रभाव पड़ सकता है।
- (iii) पारदर्शिता, समान अवसर और वादों की विश्वसनीयता के हित में, यह आशा की जाती है कि घोषणा पत्र में वादों की तार्किकता भी प्रतिबिंबित होगी और मोटेतौर पर इसके लिए आवश्यक वित्त प्राप्त करने के तरीके और साधन विस्तृत रूप से इंगित होंगे। केवल उन वादों पर मतदाताओं का भरोसा हासिल किया जाना चाहिए जिन्हें पूरा किया जाना संभव हो।

4. निर्वाचन (नों) के दौरान घोषणा-पत्र जारी करने की निषिद्ध अवधि

- i. एकल चरणीय निर्वाचनों के मामले में, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के अंतर्गत  
यथा-विहित निषिद्ध अवधि के दौरान घोषणा-पत्र जारी नहीं किए जाएंगे।
- ii. बहु-चरणीय निर्वाचनों के मामले में, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के अंतर्गत,  
निर्वाचनों के सभी चरणों के लिए यथा-विहित निषिद्ध अवधियों के दौरान घोषणा-पत्र जारी नहीं किए जाएंगे।





भारत निर्वाचन आयोग  
**Election Commission of India**

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

*"No voter to be left behind"*